

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड नं.

[illegible]

4. परिवार की वर्तमान वार्षिक आय : व्यवसाय

मुखिया बदलने का कारण : वर्तमान मुखिया की मृत्यु/शादी/नये मुखिया का व्यस्क होना/अन्य

(III) मोबाइल नं.

[illegible]

ईमेल :

[illegible]

6. डुप्लीकेट कार्ड बनवाने का कारण : खोया ☐ क्षति ☐

क. सं.	नाम	मुखिया से संबंध	आधार नं./ई.आई.डी.नं. एन.पी.आर. नं.	जोड़ना हटाना	/	कारण

वर्तमान उ.द.दु. का लाईसेंस नं

--	--	--	--

 नाम:

प्रस्तावित उ.द.दु. का लाईसेंस नं

--	--	--	--

 नाम:

10. कार्ड में संशोधन

वर्तमान विवरण (नाम/पता)	वांछित संशोधन

घोषणा:— मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा करती/करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करती/करता हूँ कि उपरोक्त सूचना झूठी या गलत पाए जाने पर मैं आवश्यक वस्तुओं अधिनियम, 1955 व भारतीय दण्ड संहिता 1973 व अन्य कानूनों के अधीन सजा का जिम्मेदार होउंगा/होउंगी व किसी भी गलत सूचना के दिए जाने पर सजा या जुर्माना तथा उपभोक्ता कार्ड के निरस्त किए जाने का जिम्मेदार होउंगी/होउंगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्रार्थी का नाम

..Tear from here.

खादय, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पावती रसीद

नए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड में नाम जोड़ने / हटाने / संशोधन / कार्ड समर्पण / डुप्लीकेट कार्ड / कार्ड स्थानांतरण/उचित दर दुकान बदलने हेतु श्री/श्रीमतिसे दिनांकको आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक :-

NFS ID नं.

खाद्य संभरण कार्यालय
मंडल संख्या:

आवेदन के साथ दस्तावेज संलग्न करें

1. प्रतिरूप कार्ड के लिए— एफ.आई.आर./एन.सी.आर. की कॉपी

2. मुखिया बदलने के लिए — मुखिया के आधार कार्ड की कॉपी

3. सदस्य जोड़ने हेतु

i. समर्पण (Surrender) प्रमाण पत्र या Deletion Certificate (यदि सदस्य का नाम किसी और राशन कार्ड में है)

ii. सदस्य जिसका नाम जोड़ना है उसके आधार कार्ड/ई.आई.डी.नं./राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के नम्बर की प्रतिलिपि।

4. निरसन /नाम हटाने (Deletion)

मृत्यु के कारण है तो मृत्यु प्रमाण पत्र।

5. पता बदलने पर

मण्डल में या मण्डल के बाहर पता बदलने के लिए नये पते का प्रमाण : किरायानामा या बिजली का बिल/पानी का बिल/टेलीफोन बिल या नये पते के आधार कार्ड की कॉपी या अन्य सरकारी दस्तावेज ।

6. संशोधन के लिए — प्रस्तावित संशोधन से संबंधित दस्तावेज की कॉपी ।

कार्यालय के प्रयोग हेतु

निरीक्षक की रिपोर्ट :

भौतिक सत्यापन हों ☐ नहीं ☐ लागू नहीं ☐

सिफारिश की जाती है ☐ सिफारिश नहीं की जाती है ☐

यदि सिफारिश नहीं की जाती तो उसका विवरण

निरीक्षक के हस्ताक्षर नाम..... दिनांक.....

खाद्य संभरण अधिकारी की रिपोर्ट :

अनुमोदित ☐ अनुमोदित नहीं ☐

अगर अनुमोदित नहीं तो उसका कारण

खा. स. अधिकारी के हस्ताक्षरनाम दिनांक

इस फार्म में आवेदन केवल परिवार के मुखिया या नए प्रस्तावित मुखिया द्वारा ही किया जा सकता है ।